कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

–:: कार्यालय आदेश ::–

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के संलग्न ग्रुप–एफ के अनुरूप व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) विषय–रसायन (पु/म.) वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध हुई विभागीय पदौन्नति समिति की अंभिशषा अनुसार चयन किये जाने पर शिक्षा सेवा के निम्न अधिकारी को पे–बेण्ड (9300–34800) पीबी–2 ग्रेड–पे 4800 में चयनित कर पदौन्नत किए जाने के फलस्वरूप इन्हे उनके नाम के सामने अंकित विधालय में पदस्थापित किया जाता है।

क्र. सं.	वरिष्ठता क्रमांक	वरिष्ठता अवधि	नाम लोक सेवक	वर्ग	जन्मतिथि	वर्तमान पदस्थापन स्थान	पदौन्नति पर पदस्थापन स्थान
1	2464	97–98	नरेश कुमार	–	20.05.73	राउमावि पहाडी, बहरोड, अलवर	राउमावि रामगढ, अलवर

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक पं. 7(1) कार्मिक/क–2/95 दिनांक 20.06.2001 (33/01) प्रावधानान्तर्गत ऐसे राज्यकर्मी जिनके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात सन्तानोत्पति से दो से अधिक सन्तान हो तो वे नियमानुसार पदौन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नही होगे, संबंधित नियन्त्रण अधिकारी/प्रधानाचार्य इसकी सुनिश्चितता करेंगें। संस्था प्रधान/नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व पदौन्नत कार्मिक के नाम, वरिष्ठता क्रमांक/वर्ष वर्तमान धारित पद जन्मतिथि एवं धारित अर्हता का मिलान करना आवश्यक रहेगा। अन्यथा स्थिति में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नही कराते हुए निदेशालय को रजिस्टर्ड डाक से एवं विभागीय ई–मेल Commsecedu@Yahoo.com से तुरंत सूचित करेंगें।

पदौन्नत कार्मिक को पदौन्नति स्थान पर दिनांक 08.01.2018 तक कार्यग्रहण करना होगा अन्यथा पदौन्नति का परित्याग माना जावेगा।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी–4/रसायन (पु/म.)/डीपीसी–पदस्थापन/15–16 दिनांक 28.12.2017

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. शासन सचिव–शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. संयुक्त शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप–2) कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान,जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. संबंधित उपनिदेशक (मा)
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मा)
6. संबंधित संस्था प्रधान
7. संबंधित कार्मिक
8. कम्प्यूटर अनुभाग
9. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर